बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सं0सं0-3/यो0-35/2018 16

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12.6.18

विषय: **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश एवं बजट उपबंध के आलोक में राज्य के सभी 38 जिलों में स्वाधार गृह संचालित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिवार में विवाद, अपराध, हिंसा, मानसिक दबाव, सामाजिक बहिष्कार अथवा वेश्यावृति में धकेले जाने और नैतिक आपात स्थिति के कारण गृह विहीन महिलाओं को अस्थायी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वाधार गृह योजना का प्रारंभ किया गया है। उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश एवं बजट उपबंध के आलोक में राज्य के सभी 38 जिलों में स्वाधार गृह संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन गृहों का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निदेश के अनुसार किया जायेगा।

2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक स्वाधार गृह का संचालन कुल रू0 17,48,000/- (सत्रह लाख अड़तालीस हजार) मात्र की लागत पर किया जाना है जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात 60:40 होगा।

3. इस योजना का संचालन महिला विकास निगम द्वारा किया जायेगा। राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, पटना से पूर्व प्राप्ति रसीद लेकर की जायेगी। इस योजना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, समाज कल्याण होंगे।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, पटना को उपलब्ध करायेंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. इस योजना हेतु स्वीकृत राशि की निकासी मांग संख्या-51 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-103-महिला कल्याण-उपशीर्ष-0423-स्वाधार गृह स्कीम (महिलाओं का संरक्षण एवं सशक्तिकरण) के अधीन केन्द्रांश की राशि तथा राज्यांश की राशि खोले गये नये शीर्ष के अधीन विकलनीय है।

6. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं-3/यो0-35/2018 के पृ0-47/प0 पर दिनांक 07.06.20.8 को विभागीय स्थायी वित समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

7. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं-3/यो0-35/2018 के टिप्पणी पृ0-05/टि0 पर दिनांक 07.06.2018 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :-3/यो0-35/2018/......16...... पटना, दिनांक 12.6.18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/भवन निर्माण विभाग/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/प्रबंध निदेशक/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- : 3/यो0-35/2018/ 16 पटना-15, दिनांक- 12.6.18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।